कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (सीमा सड़क), सीमा सड़क भवन,
रिंग रोड, नारायणा, दिल्ली कैंट-**110010**

फाइल संख्या.ए टी/बीआर/103/टी.ए./डीए/एलटीसी/व.१२ दिनांक 30/अप्रैल /2014

सेवा में,

व. लेखा अधिकारी
कार्या. र.ले.सं.नि (सी स)
सेक्टर 48सी चंडीगढ़

विषय:- SDA एवं SCRLA का भुगतान
संदर्भ:-सं.बी.आर./II/154/वेतन भत्ता दिनांक 20.01.2014

****

आपके संदर्भित पत्र का भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जारी नियमों के तहत अध्ययन करने पर यह पाया है कि:

१. SDA का संचालन TA Rules (FRSR-I) के अनुसार किया जाता है जिसके Appendix संख्या 9 (iii) के note-I के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी महीने में लगातार यदि १५ दिन से अधिक कि अवधि में छुट्टी या ट्रेनिंग पर रहता है तो १५ दिन की लगातार ड्यूटी स्टेशन से अनुपस्थिति के पश्चात् SDA सम्बन्ध कर्मचारी को देय नहीं होंगा |

दूसरी स्तिथि में यदि सम्बन्ध सरकारी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में विभिन्न अवधियो में ३० दिन से अधिक छुट्टी/ट्रेनिंग/कोर्से इत्यादि पर रहता है तो कैलेंडर वर्ष में ३० दिन से अधिक के दिनों का SDA देय नहीं होगा |

उक्त दोनों परिस्तिथियों में केवल किसी एक ही परिस्तिथि में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान SDA प्रतिबंधित किया जा सकता है |

२. SC(RLA) के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सन्ख्या 3/1/88/E-II (B) दिनांक 20/7/88 तथा 27/11/98 तथा FRSR-IV के अध्ययन के अनुसार SC(RLA), CCA तथा HRA के तर्ज पर ही 180 दिनों तक के अवकाश/अनुपस्तिथि पर नोर्मल रेटो पर ही संबंध सरकारी कर्मचारी को SC(RLA) देय होगा तथा 180 दिनों के अवकाश तथा अनुपस्तिथि के पश्चात् भी सरकारी कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करने पर भी नोर्मल दरों पर मिलता रहेगा कि वह अवकाश कि अवधि में ड्यूटी स्टेशन पर ही रहता था या उसने सरकारी आवास ले रखा था

क.प.उ.

अथवा कर्मचारी किराये के घर का SC(RLA)शेत्र में सपूर्ण किराया दे रहा है | यदि अवकाश चिकित्सा कारणों से ली गयी है तो ८ माह तक बिना किसी प्रमाणिकता के SC(RLA) सरकारी कर्मचारी को देय होगा |

यदि सरकारी कर्मचारी छुट्टी के बाद वापस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नही करता है, जिसका कारण मृत्यु या पागलपन है, तो भत्ते कि प्रतिपूर्ति (recovery) नहीं कि जायेगी परन्तु यदि त्यागपत्र दिया गया है तो प्रतिपूर्ति (recovery) त्याग पत्र देने के वक्त से की जायेगी |

उक्त निर्देश आपके अनुसरण तथा मार्ग दर्शन हेतु प्रधान नियंत्रक की मंजूरी से प्रेषित है|

ह० -

ले. अधिकारी(लेखा परीक्षा)

प्रति:

ई.डी.पी भाग : वेबसाइट पर *अपलोड* हेतु

ले. अधिकारी(लेखा परीक्षा)